

**पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में**  
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17028 /2016**

महेश प्रसाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र सिंह, निवासी +पोस्ट राम नगर दियारा, थाना-अथमालगोला, जिला-पटना, वर्तमान पता ग्राम- रानी सराय, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. बिहार राज्य के मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
2. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।
4. जिला पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ)।
5. अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, नालंदा (बिहारशरीफ)।
6. उप समाहर्ता (स्थापना), जिला - नालंदा (बिहारशरीफ)।
7. अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, जिला - नालंदा।
8. प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड - बिंद, जिला - नालंदा।
9. प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड - हरनौत, जिला - नालंदा।

..... प्रतिवादी

**उपस्थिति:**

|                      |   |                                                                              |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता की ओर से | : | श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं<br>श्री ओंकार कुमार, अधिवक्ता |
| प्रतिवादी की ओर से   | : | श्री आकाश चतुर्वेदी, ए.सी. से एस.सी.-11                                      |

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति ज्योति सरन

**मौखिक निर्णय**

**दिनांक:** 30-08-2018

याचिकाकर्ता द्वारा नालंदा के जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 6-67/12-138 दिनांक 21.01.2014 द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है। इस आदेश के तहत, बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (जिसे आगे 'अनुशासनिक नियमावली' कहा गया है) के नियम 14 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा 15.12.2015 को पारित उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसके तहत उनकी सर्विस अपील सं0 219 /2014 खारिज कर दिया गया था।

याचिका के निपटारे के लिए ज़रूरी तथ्य, जो दलीलों से सामने आए हैं, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अनुशासनिक नियमावली' के तहत कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई नालंदा ज़िले के बिंद प्रखंड कार्यालय में क्लर्क (नाज़ीर) के पद पर रहते हुए कथित कदाचार के लिए की गई थी। इसके लिए ज्ञापन संख्या 337 दिनांक 01.09.2012 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसकी एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक 3 में संलग्न है। याचिकाकर्ता पर चार आरोप लगाए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

(1) पंचायत आम चुनाव, 2011 के दौरान मिली अग्रिम राशि के संबंध में डी.सी. विपत्र (विस्तृत आकस्मिक बिल) जमा न करना, जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3(ii) का उल्लंघन था।

(2) 13.01.2012 को ट्रेजरी से ऑफिस के खर्च के लिए 63,200/- रुपये का विपत्र सं0 52/2011-12 पास कराया गया, जिसमें 14,441 रुपये का एक ऐसा वाउचर भी शामिल था जिसे सक्षम अधिकारी ने पास नहीं किया था;

(3) बिंद के ग्राम रक्षा दल के दलपति काली पासवान को भत्ते का भुगतान करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालंदा द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन। और

(4) विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम का विवरण न देना और उसे उचित प्राधिकार के समक्ष पेश करने में विफल रहना।

याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों को नकारते हुए जवाब दाखिल किया और आरोपों का खंडन करने के लिए स्पष्टीकरण भी दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना किसी कार्यवाही के और केवल याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल जवाब (जिसकी एक प्रति अनुलग्नक 5 में संलग्न है) के आधार पर एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई (जो अनुलग्नक 6 में है)। याचिकाकर्ता को 22.08.2013 को अनुलग्नक 7 के माध्यम से दूसरा 'कारण बताओ नोटिस' और अनुलग्नक 8 के माध्यम से एक स्मार भेजा गया। याचिकाकर्ता ने फिर से आरोपों और जांच अधिकारी की रिपोर्ट का खंडन करते हुए एक विस्तृत जवाब दाखिल किया, जिसमें आरोप संख्या 1, 2 और 4 को सही ठहराया गया था। जवाब की एक प्रति याचिका के अनुलग्नक 9 में है। इसके बाद, नालंदा के जिला पदाधिकारी ने 'अनुशासनिक नियमावली' के नियम 14 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया (ज्ञापन सं0 138, दिनांक 21.01.2014), जिसे याचिका के अनुलग्नक 1 में चुनौती दी गई है। इस आदेश की पुष्टि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के 15.12.2015 के आदेश (अनुलग्नक 2 में चुनौती दी गई) द्वारा याचिकाकर्ता की अपील खारिज होने पर की गयी। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस अदालत में आया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह और अधिवक्ता श्री ओंकार कुमार पेश हुए हैं, और राज्य का प्रतिनिधित्व स्टैंडिंग काउंसिल सं0 11 के सहायक अधिवक्ता श्री आकाश चतुर्वेदी कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि अनुलग्नक 5 में बताए गए आरोपों और अनुलग्नक 9 के तहत दूसरे कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने जो जवाब दाखिल किया था, उसके आधार पर

याचिकाकर्ता के खिलाफ़ कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी आरोप में याचिकाकर्ता पर वित्तीय अनियमितता, पैसे का गबन करने या खुद के लिए अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश का आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के बावजूद जांच की गई और केवल याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल जवाब पर विचार करके रिपोर्ट सौंप दी गई, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी बड़ी सज़ा दी गई है और 'अनुशासनिक नियमावली' का नियम 17 ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताई गयी है। उन्होंने कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया, फिर भी जांच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकार दोनों ने बिना सोचे-समझे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कठोर सज़ा देने के लिए इन आरोपों को सही ठहराया और अपीलीय प्राधिकरण ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। श्री सिंह के अनुसार, यह आदेश बिना किसी सबूत के दिया गया है और आरोप बेबुनियाद हैं। अनुलग्नक 13 श्रेणी के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास मौजूद सभी दस्तावेज़ उनके उत्तराधिकारी, अनुज कुमार को सौंप दिए गए हैं।

इसके उलट, चुनौती दिए गए आदेशों का समर्थन करते हुए, स्टैंडिंग काउंसिल नंबर 11 के सहायक अधिवक्ता श्री आकाश चतुर्वेदी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद के एक पत्र का ज़िक्र किया (जो हलफनामे के साथ अनुलग्नक 'C' में लगा है)। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय, बिंद में 'नाज़ीर' के तौर पर काम करने के दौरान याचिकाकर्ता ने मिली बड़ी रकम का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया है।

अदालत ने राज्य के अधिवक्ता की इस बात पर ध्यान दिया है कि जब अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद को कार्यवाही में एक पक्ष (प्रतिवादी) के तौर पर जोड़ने की इजाज़त दी थी, तो साथ ही उन्हें शुरू में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में बताई गई बात के समर्थन में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। अदालत के इसी

निर्देश के पालन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद' की ओर से एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है।

श्री चतुर्वेदी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 7 में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 1,11,19,953/- रुपये की रकम का हिसाब देने में नाकाम रहा है, क्योंकि उसने इस रकम के लिए कभी भी वाउचर नहीं सौंपे। उनका कहना है कि बहुत समझाने-बुझाने के बाद भी, याचिकाकर्ता ने अपने उत्तराधिकारी (गलती से 'पूर्ववर्ती' लिखा गया है) को पद का केवल आंशिक प्रभार सौंपा है, लेकिन उसके द्वारा तैयार की गई कैश-बुक से संबंधित वाउचर आज तक नहीं सौंपे गए हैं। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 10 के संदर्भ में यह कहा गया है कि पद पर आए नए अधिकारी ने भी याचिकाकर्ता की इस चूक की शिकायत की है, जैसा कि उक्त हलफनामे के अनुलग्नक 'G' से स्पष्ट है। इस प्रकार, उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक धन का प्रबंधन कर रहा था और उसे मिले अग्रिम धन का हिसाब-किताब देकर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद वह इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड देखे हैं। मैं जो आदेश देने जा रहा हूँ, उसे देखते हुए मैं इस मामले से जुड़े पक्षों के आपसी गुण-दोषों पर चर्चा नहीं करूँगा।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बड़ी सज़ा दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका के पैराग्राफ 10 और 11 में साफ़ तौर पर कहा है कि उसे कभी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होने या संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उसने यह भी शिकायत की कि आरोप के समर्थन में आरोप पत्र के साथ कोई दस्तावेज़ नहीं

लगाया गया था। याचिका के पैराग्राफ 12 में बताया गया है कि इस स्थिति के बावजूद, याचिकाकर्ता 22.11.2012 को संचालन पदाधिकारी के सामने पेश हुआ और आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाब दिया, लेकिन उसके बाद, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरीय अधिवक्ता श्री सिंह के अनुसार, 'अनुशासनिक नियमावली' में बताए गए तरीके से कोई जाँच नहीं की गई; बल्कि याचिकाकर्ता और उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा अपना-अपना पक्ष रखने के आधार पर ही जाँच रिपोर्ट सौंप दी गई, जिसके कारण सज़ा का आदेश जारी हुआ।

याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज़ों में अनुशासनिक प्राधिकार (यानी ज़िला पदाधिकारी) का ऐसा कोई आदेश शामिल नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने की जानकारी दी गई हो; बल्कि, अनुलग्नक 3 और 4 के ज़रिए संचालन पदाधिकारी ने खुद याचिकाकर्ता को आरोप पत्र का जवाब देने का निर्देश दिया था, जो संचालन पदाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न था। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 (जिनमें अनुशासनिक प्राधिकार भी शामिल हैं) की ओर से दायर जवाबी हलफ़नामे में इस बात का कहीं भी खंडन नहीं किया गया है; बल्कि यह स्वीकार किया गया है कि आरोप पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ़, नालंदा द्वारा संचालन पदाधिकारी (यानी अपर समाहर्ता, नालंदा) को आगे की जाँच के लिए भेजा गया था। जवाबी हलफ़नामे का पैरा 11 याचिकाकर्ता द्वारा 'शो कॉज़' (कारण बताओ नोटिस) का जवाब दाखिल करने और उस पर उपस्थापन पदाधिकारी की राय मिलने की बात भी स्वीकार करता है, और पैरा 12 में जाँच प्रतिवेदन सौंपने का ज़िक्र है। संक्षेप में, याचिकाकर्ता का यह आरोप सही साबित होता है कि बड़ी सज़ा देने और प्रतिवेदन सौंपने के लिए जाँच करने हेतु 'अनुशासनिक नियमावली' के नियम 17 में बताई गई अनिवार्य प्रक्रिया का अनुशासनिक प्राधिकार और जाँच अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया गया है।

इस कार्यवाही में एक और गंभीर कमी यह है कि अनुलग्नक 3 और 4 में दिए गए आरोप पत्र में किसी ऐसे सबूत का जिक्र नहीं है जिसे उपस्थापन पदाधिकारी ने संचालन पदाधिकारी के सामने पेश किया था (जैसा कि उनकी प्रतिवेदन से पता चलता है)। लेकिन, चूंकि जांच खुद 'अनुशासनिक नियमावली' के नियम 17 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, इसलिए उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा सबूत पेश करने से यह कार्यवाही वैध नहीं हो जाती।

'अनुशासनिक नियमावली' का नियम 17 बहुत स्पष्ट है और मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अनुशासनिक प्राधिकार, यानी जिला पदाधिकारी, 'अनुशासनिक नियमावली' में बताई गई जरूरतों का पालन करने में नाकाम रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियम 17(3) के तहत आरोप पत्र देकर कार्यवाही शुरू करने से लेकर नियम 17(23) के तहत जाँच रिपोर्ट सौंपने तक, बड़ी सजा देने की प्रक्रिया इतनी साफ़ तौर पर बताई गई है, फिर भी अनुशासनिक प्राधिकार और जाँच अधिकारी अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पाए हैं।

ऊपर बताई गई बातें याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरीय अधिवक्ता श्री सिंह द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही ठहराने के लिए काफ़ी हैं कि पूरी कार्यवाही 'अनुशासनिक नियमावली' के उल्लंघन में की गई थी।

इस मामले का एक और पहलू है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद के उस पत्र से पता चलता है, जो 15.10.2013 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत को लिखा गया था (जहाँ याचिकाकर्ता का ट्रांसफर हुआ था)। इस पत्र में उनसे अनुरोध किया गया था कि वे याचिकाकर्ता को रिलीव करें ताकि वह बिंद ऑफिस का चार्ज अपने उत्तराधिकारी को सौंप सके। इसमें उन रिकॉर्ड्स की जानकारी साफ़ तौर पर दी गई है जो याचिकाकर्ता ने नहीं सौंपे थे। असल में, बिंद में याचिकाकर्ता के उत्तराधिकारी का 27.3.2014 का पत्र भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिंद के जबाबी

हलफनामों के साथ अनुलग्नक 'G' के तौर पर संलग्न है। इस पत्र में उन दस्तावेजों/खाता बही/पुर्जा के बारे में जानकारी दी गई है जो अभी भी याचिकाकर्ता के पास हैं और उन्हें उत्तराधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। इन दोनों पत्रों की बातें आरोप सं० 4 से जुड़ी हैं और निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को इनका जवाब देना होगा।

ऊपर की चर्चाओं से यह पुष्टि होती है कि नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करने में देरी हुई और याचिकाकर्ता को गंभीर आरोपों का खंडन करने का उचित मौका नहीं दिया गया; इन आरोपों में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के जवाबी हलफनामों के साथ संलग्न 'अनुलग्नक C' और बिंद के प्रखंड विकास पदाधिकारी के जवाबी हलफनामों के साथ संलग्न 'अनुलग्नक G' में बताए गए आरोप भी शामिल हैं।

ऊपर की चर्चाओं के आधार पर, मेरा मानना है कि जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। इसलिए, अनुलग्नक 6 में दी गई जांच रिपोर्ट, अनुलग्नक 1 में बताए गए नालंदा के जिला पदाधिकारी के 21.01.2014 के सजा के आदेश, और अनुलग्नक 2 में बताए गए प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के 15.12.2015 के अपील खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया जाता है।

याचिका के पैरा 24 से पता चलता है कि इस बीच याचिकाकर्ता सेवा-निवृत्ति की उम्र तक पहुँच चुका है। इसका मतलब है कि उस पर 'अनुशासनिक नियमावली' के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता के सर्विस के समय ही उस पर आरोप लगाए गए थे। भले ही वे 'अनुशासनिक नियमावली' के नियम 17(3) के कानूनी प्रावधानों के पूरी तरह अनुरूप न हों। इसलिए मैं इस मामले को अनुशासनिक प्राधिकार, यानी नालंदा के जिला पदाधिकारी के पास वापस भेजना उचित समझता हूँ। यह तय करना उनकी समझ

पर छोड़ता हूँ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाए या नहीं; लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए।

उपर्युक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(ज्योति सरन, न्यायाधीश)

एस.के. पाठक/-

|               |            |
|---------------|------------|
| एएफआर/एनएएफआर | एएफआर      |
| सीएबी तिथि    | एनए        |
| डालने की तिथि | 11.09.2018 |
| प्रसारण तिथि  | एनए        |

खण्डन(डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।